जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा /प्रे. 315 दि. 01.06.17

संशोधन आदेश

विषयः– लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में।

लम्बित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों के अंतिम निस्तारण के संबंध में जारी आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./मु.अ.(मु.)/अ.अ.(आर.ए.–सी.)/फा/प्रे. 153 दि. 02.05.2017 (वाणिज्य/जोधपुर डिस्कॉम–782) के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये थे, इसी क्रम में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा उठाये गये संशयों एवं अन्य संशोधनों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है:

1. बिन्दु संख्या 5 के अनुसार अभियंता प.व.स. दोनों शाखाओं (सतर्कता एवं प.व.स.) की लंबित वी.सी.आर के राजस्व निर्धारण का नोटिस उपभोक्ताओं को अब दिनांक 30.06.2017 के स्थान पर 30.09.2017 तक देना सुनिश्चित करेंगे। उक्त नोटिस के निर्धारित प्रपत्र की प्रति संलग्न है।

2. जिन उपभोक्ताओं/गैर उपभोक्ताओं की विद्युत चोरी की पुलिस थानो में एफ.आई. आर दर्ज हो चुकी है एवं अनुसंधान चल रहा है, साथ ही उनका चालान भी प्रस्तुत नहीं हुआ है, उन प्रकरणों को भी बिन्दु संख्या 6 में गठित कमेटी द्वारा सुना जा सकेगा।

3. असंतुष्ट उपभोक्ता अब 31.08.2017 के स्थान पर 30.11.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि मय पंजीयन शुल्क 500/– जमा करवाकर गठित कमेटी के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर सकते है।

4. आदेश के अंतिम पैरा को निम्नानुसार पढ़ा जावें।

"इस योजना में दिनांक 30.06.2016 तक के लंबित सतर्कता जांच प्रतिवेदनों का अंतिम निस्तारण दिनांक 31.12.2017 तक यथा संभव हो जाना चाहिये।"

संलग्नः नोटिस का प्रपत्र।

आज्ञा से

01/6/17

(एम. आर. मीणा)
अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय सहायक अभियंता ( ), ...

क्रमांक : जोविविनिलि/स.अ./ /प्रे. दिनांकः–

नोटिस

प्रेषित,

श्री..पुत्र श्री..ग्राम ....
तहसील..जिला..
उपभोक्ता खाता सं..................................../गैर उपभोक्ता, वीसीआर नं व दिनांक....................
जांच अधिकारी :– अधिशाषी/सहायक/कनिष्ठ अभियंता ( )/जो.वि.वि.नि.लि.........

आपके .... स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में दिनांक ....को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत निम्नांकित अपराध करना पाया गया :–

1. बिना वैद्य कनेक्शन के विद्युत का अनाधिकृत उपयोग
2. मीटर से छेडछाड कर विद्युत का अनाधिकृत उपयोग
3. मीटर केबिल/ट्रांसफार्मर से छेडछाड व उसको नुकसान पहुंचाकर, मीटरिंग को बाधित करना।
4. अन्यः–

इस संबंध में:–

1. सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या ....दिनांक .... तैयार किया गया, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।
2. उक्त सतर्कता जांच प्रतिवेदन में किये गये राजस्व निर्धारण की राशि रूपये .... इस नोटिस की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करावायें,

   या

   पहले भी आपको नोटिस क्र. .... दिनांक .... द्वारा निर्धारण राशि रू.................. जमा करवाने हेतु सूचित किया गया था, किन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त राशि जमा नहीं करवायी गयी है।
3. निगम द्वारा दिनांक 30.06.2016 तक की लम्बित वी.सी.आरस् के अंतिम निस्तारण हेतु एक योजना लागू की गयी है, जिसके अंतर्गत आपको उक्त सतर्कता प्रतिवेदन के राजस्व निर्धारण की राशि जमा करवाने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जाता है।

अतः आपको इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वीसीआर में निर्धारित राजस्व निर्धारण राशि ....रूपये इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में इस कार्यालय में जमा करवाये अन्यथा आपके विरूद्ध विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।

यदि उक्त निर्धारण राशि के संबंध में आपको कोई आपत्ति हो तो आप इस संबंध में अधीक्षण अभियंता ( ), जो.वि.वि.नि.लि. .... की अध्यक्षता में गठित वीसीआर निस्तारण कमेटी के समक्ष दिनांक 30.11.2017 तक राजस्व निर्धारण की 10 प्रतिशत राशि एवं पंजीयन शुल्क रू. 500/– जमा करवाकर मय दस्तावेजी साक्ष्यों के अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है, जिस पर कमेटी द्वारा लिये गये विधिसम्मत निर्णयानुसार निर्धारण राशि 7 दिवस में जमा करवानी होगी।

संलग्नः वीसीआर की छायाप्रति।

सहायक अभियंता ( )
जो.वि.वि.नि.लि., ...

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता ( ), जोधपुर डिस्कॉम, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक अभियंता ( )
जो.वि.वि.नि.लि., ...